Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 3, May-June – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 11/05/2020 Accepted on : 19/05/2020 Publication Date: 30/06/2020

भारतीय महिलाऐ एवं अपराध (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. नवीन कुमार
पी.एच.डी समाजशास्त्र
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।

Email - navinksingh.kumar@gmail.com

भारतीय समाज में महिलाओं के द्वारा अपराध पुरुषों के द्वारा किए गए अपराध से काफी कम है इसका मूल कारण यह है कि भारतीय महिला की शारीरिक बनावट भारतीय पुरुष के शारीरिक बनावट से बिल्कुल अलग है। उसके शारीरिक ताकत पुरुष के ताकत से कम होती है। भारत में महिला अपराध बहुत ही कम है संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महिला अपराध कोई गंभीर समस्या नहीं है। यदि पिछले कुछ वर्षों में भारत के महिला में अपराध की दर बढ़ती हुई मिली है परंतु अमेरिका आदि देशों की तुलना में हमारे समाज में महिला में अपराध बहुत कम है। वहीं पुरुषों में अपराध अधिक है। पुरुषों की तुलना में महिला में कम अपराध पाए जाने के बहुत सारे कारण हैं। पुरुष की भूमिका आजीविका से है। जिसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों से स्पर्धा करना पड़ता है कुछ व्यक्ति स्पर्धा प्रक्रिया में जब अपना लक्ष्य बैदध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब अवैध साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जिसे हम अपराध करते हैं। दूसरी और महिला की प्रमुख भूमिका घर में रहती है। बच्चों का पालन पोषण करना उसका मुख्य कार्य रहता है वह प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नहीं पड़ती है एवं घरेलू कार्य एवं बच्चों की देखभाल करना परता है और बाहर आना जाना उसे कम पड़ता है। इस कारण महिलाओं में अपराध की संभावना कम पाई जाती है। महिलाएं समानता धामिक होती हैं उन्हें अपनी एवं अपने परिवार की प्रतिष्ठा के सुरक्षा की भावना अधिक रहती है। सामाजिक तिरस्कार होने के कारण वे निशब्द एवं मूल रूप से अपने कष्ट सहती रहती हैं तथा सामाजिक मूल्य का पालन करती रहती है महिला एवं पुरुष के शारीरिक क्षमता में भेद पाया जाता है पुरुष को शक्ति अधिक होती है एवं महिला का शरीर कमजोर होता है इस कारण पुरुष की उपेक्षा महिला कम अपराध करती है। महिलाओं द्वारा जो अपराध किया जाता है उसके प्रति न्यायालय एवं पुलिस व्यवस्था एक उदार व्यवहार अपनाती है एवं महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखती है। और बहुत सारे केस में तो उन्हें माफ कर दिया जाता है एवं कुछ केस में जो उन्हें सजा मिलती है वह बहुत कम होती है। सांख्यिकीय दृष्टि से महिला में अपराध एवं गंभीर समस्या नहीं है। परंतु सामाजिक दृष्टि से यह समस्या एक चिंतनशील समस्या मानी जा सकती है। क्योंकि अपराध करने के पश्चात जब स्त्री को जेल भेजा जाता है तब उसके अनुपस्थिति न केवल बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है परंतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी समायोजन की अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है यही कारण है कि अपराधी महिलाओं के प्रति दंड संबंधी नीति में अधिक आवश्यकता मानी जाती हैं अपराध की प्रकृति की दृष्टि से महिलाओं में पहले हत्या अपहरण चोरी डकैती आवारागर्दी धोखेबाजी आदि संबंधी विषम अपराध कम पाए जाते थे पुरुषों की अपेक्षा लेकिन महिलाओं में घरेलू अपराध जो घर में होते हैं वह देखने को अधिक मिले हैं जैसे घरेलू झगड़ा गाली गलौज पारिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट परिवारिक सदस्यों की हत्या करने की साजिश इत्यादि लेकिन अध्ययन से पता चला है कि कि 95% अपराध सामान्य अपराध होते हैं एवं 5% अपराध गंभीर अपराध होते हैं। जो महिलाएं करती हैं। अगर भारत और अमेरिका की महिलाओं में अपराध को देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले भारत में महिला अपराध बहुत कम है। क्योंकि भारत में महिला एवं पुरुष में स्पर्धा बहुत ही कम है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां महिला और पुरुष के बीच बहुत ही अधिक स्पर्धा है जिसके कारण महिला घर से बाहर निकलती हैं और बाहरी पुरुष से स्पर्धा कर सभी कार्य करती हैं जिसके फलस्वरूप वहां महिला अपराध की संख्या में वृद्धि हुई है। और वहां गंभीर अपराध भी महिलाओं के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत की महिलाएं मद्यपान का सेवन ना के बराबर करती हैं लेकिन बाहर की महिलाएं जो विकसित देश है वहां की महिलाएं मद्यपान धूम्रपान आदि मादक पदार्थों का सेवन अधिक करती है। जिसके कारण वहां की महिलाओं में अपराध के प्रति उत्तेजना अधिक देखने को आई है और अगर हम यह बात समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि भारत में महिलाओं द्वारा अपराध बहुत कम मात्रा में किया जाता है। भारत में भारत में महिलाओं द्वारा अपराध कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है कि महिलाओं का जो विवाह होता है तो अपने ससुराल पक्ष से सामंजस्य स्थापित करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। इस बीच में महिलाएं अगर अपने ससुराल पक्ष एवं पति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती हैं तब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। एवं बाद में विवाह विच्छेद हो जाती है। इसे हम महिला अपराध नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर बिना शादी किए हुए महिला अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की हत्या कर देती है तो यह महिला अपराध माना जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में महिला को बिना शादी किए हुए मां बनने या शारीरिक संबंध बनाना गैरकानूनी समझा जाता है तो हम कह सकते हैं ईस तरह का अपराध महिला अपराध है महिला अपराध में परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या में अवैध संबंध दुर्व्यवहार एवं अन्य कारण पाए गए मारे गए व्यक्ति शौक से सौतन से झगड़ा आदि भी महिला अपराध है। अगर कोई महिला किसी गैर पुरुष से नाजायज संबंध बनाती है तो यह भी महिला अपराध में माना जाता है और इस कारण परिवार में झगड़ा हत्या आदि भी महिला अपराध माना जाता है। महिलाओं में

अपराध के चारणो के कारण के बारे में कोई विस्तृत सैद्धांतिक साहित्य बहुत कम मिलता है क्योंकि किसी अपराध शास्त्री ने इसे वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। लेकिन फ्रॉड एवं थॉमस ने महिला अपराधों पर चर्चा की है।

महिला अपराध के निम्न कारण हो सकते हैं पहला सामाजिक कारण दूसरा आर्थिक कारण तीसरा पारिवारिक कारण एवं चैथा कारण राजनीतिक कारण है।

सामाजिक कारण से हमारा तात्पर्य जब महिला को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है तब वह महिला अपराध की ओर प्रस्थान करती है एवं हर प्रकार की अपराध करने की सोचती है।

दूसरा कारण आर्थिक कारण है जब महिला के पास अर्थ की कमी होती है और अपने संतान एवं अपने पर आश्रित व्यक्ति के भोजन का प्रबंध नहीं कर पाती है तो अपराध की ओर दृष्टि डालती है एवं वह अपराध की दुनिया में कदम डालती है एवं अपने परिवार और बच्चों के पोषण के लिए हत्या लूट वेश्यावृत्ति इत्यादि अपराध करने की सोचती है।

तीसरा कारण पारिवारिक कारण है। अगर किसी महिला को परिवार में प्रताड़ना का शिकार बनाया जाता है एवं उचित सम्मान नहीं प्रदान किया जाता है तो वह महिला अपराध की ओर मुखातीर होती है।

चौथा कारण राजनीति कारण भी है जिसमें सरकार द्वारा उचित नियम कानून एवं महिला के प्रति सशक्त कानून नहीं बनाने के कारण महिला का शोषण किया जाता है एवं महिला शोषण से तंग आकर अपराध की दुनिया में कदम डालती है लेकिन फिर भी महिला अपराध बहुत कम है

अपराधी महिलाओं के सुधार एवं पुणः स्थापना।

महिला अपराधियों को दंड देने एवं सुधारने के जो हमारे समाज में वर्तमान उपाय मिलते हैं यह उपयुक्त नहीं है इसमें महिला अगर अपराध करती है तो उसे कारावास में डाल दिया जाता है। एवं उससे उसके परिवारिक सदस्य नहीं मिल पाते हैं। एवं वह समाज से दूर हो जाती हैं तो उन्हें समाज में घुले मिले रहने के लिए पैरोल की व्यवस्था करनी चाहिए एवं जो महिला जघन्य अपराध करती है उनको छोड़कर अगर कोई महिला अपराध करती हैं और वह गर्भवती रहती है या उसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उस बच्चे को भी कारावास में रखने की व्यवस्था होती है जो गलत है उसे बाहर उसके परिजनों एवं अन्य जगह रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुरुषों में खुला जेल का प्रावधान है लेकिन महिलाओं के लिए खुला जेल का कोई प्रावधान नहीं है खुला जेल का प्रावधान महिलाओं में भी होना चाहिए। पुरुष अगर कारावास में काम करता है तो उसे पारिश्रमिक मिलता है लेकिन महिला को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। महिला को भी पारिश्रमिक का लाभ मिलना चाहिए एवं कारागार के नियम महिलाओं के प्रति लचीलापन लाने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।

संदर्भ सूची :

1 Mk-राम आहूजा : अपराधशास्त्

2 Mk-किरण बघेल : सामाजिक विघटन एवं अपराधशास्त्

3 Mk-एम एम लावनियाँ एवं शशि के जैन : अपराधशास्त्र